संख्या-3/2015/2999/26-2-2014-01(एस0एन0डी0)/2013

प्रेषक,

केदारनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 05 जनवरी, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-80 में आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से वृद्धाश्रम संचालन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-67/स0क0/अनु0/वृ0गृ0 /2014-15, दिनांक 02.12.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-80 में वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालन करने हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 05.00 करोड़ (रू0 पॉच करोड़ मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग शासनादेश संख्या-2525/26-2-2014, दिनांक 09.10.2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

(3) वृद्धाश्रम संचालन हेतु व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय नियमों एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गई व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

(6) निदेशक, समाज कल्याण यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय, योजनान्तर्गत आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत समायोजित रखा जायेगा। धनराशि का व्यय/उपभोग योजना के लिए निर्धारित नियमावली/स्थायी आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

2- उक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-आयोजनागत-02-समाज कल्याण-104-वृद्ध अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण-02-वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाले जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

केदारनाथ
विशेष सचिव।

<u>पृ0संख्या व तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- राज्य योजना आयोग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

केदारनाथ
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in